प्रेस नोट–170 / 2026

दिनांक 25.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मीरजापुर तथा आजमगढ़ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 25.03.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मीरजापुर तथा आजमगढ़ इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मीरजापुर इकाई द्वारा श्री दीपक कुमार निवासी ग्राम कोना थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज से ठेके द्वारा किये गये कार्य का बिल पास कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार चौरसिया के नेतृत्व में बाजसागर कॉलोनी मीरजापुर से **जूनियर इन्जीनियर मुसाफिर सिंह यादव (वाजसागर नहर निर्माण खण्ड-5 मीरजापुर)** पुत्र स्व0 जिवनाथ सिंह यादव निवासी नई बजार थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को **01 लाख रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन आजमगढ़ इकाई द्वारा श्री अमित कुमार यादव निवासी ग्राम पूराबालनरायन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ से पूर्व प्रधानी के दौरान कराये गये खड़न्जा, इण्टरलाकिंग, पक्की नाली आदि कार्य के खर्च सम्बन्धित बिल को पास कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री कमलेश कुमार पासवान के नेतृत्व में ग्राम बनकटा बाजार गोसाई ब्लाक हरैया स्थित ग्राम विकास अधिकारी कक्ष से 1-**ग्राम विकास अधिकारी शशिकान्त सोनकर** पुत्र स्व0 सोविन्द सोनकर निवासी मो0 कोलघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2-**रोजगार सेवक चन्द्रेश यादव** पुत्र स्व0 कालिका यादव निवासी ग्राम व पोस्ट चकलालचन्द्र थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–171/2026
दिनांक 25.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 75 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 25-03-2026 को थाना पिलखुवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिखैडा बम्बा पुलिया से सालासर कंपनी की तरफ रजवाहे की पटरी के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अकरम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 75 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अकरम निवासी सेक्टर–11 विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लूट के 75 हजार रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद पीलीभीत/थाना जहानाबाद

- **25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 24/25-03-2026 को थाना जहानाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम शाही रेलवे फाटक के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—विष्णु 2—बडे उर्फ डोरीलाल सहित अभियुक्त 3—सुरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विष्णु एवं बड़े उर्फ डोरीलाल शातिर किस्म के अपराधी है, जो थाना जहानाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विष्णु निवासी ग्राम जटऊ पट्टी थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

2—बडे उर्फ डोरीलाल निवासी ग्राम सरौरी थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत।

3—सुरेन्द्र निवासी ग्राम जटऊ पट्टी थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 25-03-2026 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–44 कट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नौशाद उर्फ टोला को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर–39 पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नौशाद उर्फ टोला निवासी पेट्रोलपम्प वाली गली मोरना थाना सेक्टर–24 कमिश्रनेट गौतमबुद्धनगर।

जनपद अमरोहा/थाना सैदनगली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की लगभग 15 लाख रूपये (कीमत) के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 25.03.2026 को थाना सैदनगली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त उस्मान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की लगभग 15 लाख रूपये (कीमत) के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.03.2026 को थाना सैदनगली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सैदनगली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बंधित है।

इस सम्बन्ध में थाना सैदनगली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उस्मान निवासी ठेर दरीबा थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–चोरी की लगभग 15 लाख रूपये (कीमत) के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना बेहट

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24-03-2026 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गांगरोह नगर पुल से विकास नगर के जाने वाले रास्ते से 04 अभियुक्तों 1–अहसान उर्फ शानू 2–मेहरबान 3–दिलशाद 4–शमशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07–07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बेहट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अहसान उर्फ शानू निवासी रामपुर कला थाना सहसपुर जनपद देहरादून उत्तराखण्ड।

2–मेहरबान निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

3–दिलशाद निवासी ग्राम दबकोरा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

4–शमशाद निवासी ग्राम दबकोरा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त नरेश को धारा 302/34 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–जगवीर को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली अयोध्या (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अयोध्या पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अयोध्या द्वारा थाना कोतवाली अयोध्या पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आशलेन्द्र उर्फ डब्बू को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना जलालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना जलालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/323/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मुकेश 2–सोनू को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————